THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Apart from the general trade policy reforms, some of the steps taken to enhance exports of spices include abolitin of cess on export of pepper (except green pepper in brine), cardamom, saffron and spice oils and oleore-sins to make them price competitive in the overseas markets; implementation of
rand promotion schemes like "Logo Promotion"; grant of "Spice House Certificate" as a recognition of processer/ exporter of quality products; setting up of laboratories for testing of products to ensure quality; technology transfer; process upgradation and product development.

(d) Review of taxation burden on exports, including cess, is an ongoing process and as and when considered necessary, exemptions on specified items of spices are notified with a view to make our exports more competitive in the international market. Cess on export of pepper (except green pepper in brine), cardamom, saffron and spice oils and oleoresins has been exemtped.

खुला सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) योजना के अन्तर्गत तिलहन का आयात

2170. **श्री बरजिन्दर सिंह :**
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि देश में तिलहन की कमी को दूर करने के लिए अनेक संस्थान में केन्द्र सरकार से तिलहन-बीजों को खुला सामान्य लाइसेंस (ओं. जी. एल) योजना के अन्तर्गत आयात करने की छूट देने की मांग की हैं,

(ख) यदि हां, तो यह मांग किन-किन संस्थानों द्वारा कब की गई थी,

(ग) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार करने के पश्चात् इसे स्वीकार करने का कोई निर्णय भी लिया हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा), दि सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईए) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) ने सोयाबीन बीजों एवं अन्य तेल-बीजों के आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव किया था।

(ग) और (घ) कुछेक शर्तों और प्रक्रियागत अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के निमित सीमित मात्रा में सोयाबीन के आयात की अनुमति देने से संबंधित एक प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा हैं।

रबड़ की मांग और पूर्ति

2171. **डा. रणबीर सिंह :**
श्री रामनाथ कोविन्द :
श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि प्राकृतिक और सिन्थेटिक रबड़ दोनों की मांग और पूर्ति के बीच हर वर्ष अन्तर बढ़ता जा रहा हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने इस अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत के बीच अंतर

वर्ष-दर-वर्ष घटता-बढ़ता रहा हैं जबकि सिन्थेटिक रबड़ के संबंध में उक्त अन्तर में वर्णनिवर्ष निरंतर वृद्धि हो रही

हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता हैं :-

(हजार मी. टन में)

वर्ष	प्रारकृतिक रबड़		सिन्थेटिक रबड़	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
1994-95	475	485	064	123
1995-96	507	525	068	134
1996-97	549	562	064	142
1997-98 (आ)	584	574	072	164
1998-99 (अ)	624	603	078	174

(आ) आकलित

(अ) अनुमान

(ख) वर्ष 1998-99 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन खपत से अधिक होने का अनुमान हैं । उद्योग में प्राकृतिक रबड़ की खपत की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए वर्ष 1998-99 में भी प्राकृतिक रबड़ की कोई कमी न होने की आशा हैं । सिन्थेटिक रबड़ के मामले में उक्त अंतर बढ़ता जा रहा हैं, क्योंकि खपत बढ़ती जा रही हैं और देश में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता हैं । इसके अतिरिक्त, उद्योग द्वारा अपेक्षित सभी ग्रेडों की सिन्थेटिक रबड़ का भारत में उत्पादन नहीं होता हैं ।

(ग) सिन्थेटिक रबड़ का उत्पादन करने वाली सभी फैक्टिरियों की क्षमता को बढ़ाये जाने की आश हैं । तथापि, बढ़ी हुयी मांग को पूरा करने के लिए सिंथेटिक रबड़ का आयात जारी रखना होगा क्योंकि कुछेक विशेष ग्रेडों की सिंथेटिक रबड़ का भारत में उत्पादन नहीं किया जाता हैं

Industrial policy for North East Region

2172. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the salient features of the New Industrial Policy declared by Government for attracting investment in the North East Region;

(b) whether formal notification in regard to the exemption and other incentives awarded in terms of New Industrial Policy have been made;

(c) if so, the details thereof;

(d) if not, by when it is likely to be made; and

(e) the necessary steps taken by Government for rapid industrialization in the North East region?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) The salient features. of the New Industrial Policy for the North Eastern States are as follows:

1. Entire expenditure on Growth Centres, up to Rs. 15 crores would be met through Central assistance (instead of States also contributing earlier).

2. Funding pattern for Integrated Infrastructure Development Centres (IIDCs) changed to 4:1 between Government of India and SIDBI (instead of 2:3 earlier).

3. Transport subsidy scheme extended up to 31.3.2007 and amount to